

04/01/18 पत्रावली पेशा वकील वाडीगण उप०
 वकील वाडीगण ने उप० होकर पत्रावली
 में वाडीगण की ओर से पैरवी करने
 की स्थिति नहीं होना चाहिए। बिना
 प्रतिवादी सं० 1 व 2 के वकील ने उप०
 होकर अर्चना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 निपत्र
 11 CPE का पेशा किया जो शामिल पत्रावली
 किया गया। पत्रावली में वाडीगण को
 कर आवान लगाई, कोई उप० नहीं,
 अतः वाडीगण का वाड अदम पैरवी अदम
 एतरी में जारी किया जाता है। पत्रावली
 के माल सुधार होकर शामिल पत्र हो।

पे०

पेशा वकील
 दिनांक
 1/1/18

सहायक कोलक्टर
 (SDO) बीहड़